145

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

R-1410-I/12

1. परसोतन सिंह पिता मोहर सिंह गोंड़, पेशा– खेती,
2. सिरसोतन सिंह पिता मोहर सिंह गोंड़, पेशा– खेती,
3. त्रिलोक सिंह पिता मोहर सिंह गोंड़, पेशा– खेती,
4. कमला ~~सिंह~~ उपाध्याय पिता जुग्गाराम उपाध्याय पेशा– खेती,

सभी निवासी ग्राम– सहरत ताल, थाना– सरई, तहसील– सिंगरौली, जिला– सिंगरौली (म.प्र.) --------- निगरानीकर्ता/आवेदकगण

बनाम

1. रामकिशुन पिता रामकेश्वर सोनी पेशा– व्यापार, निवासी ग्राम– झलरी, थाना– सरई, तहसील– सिंगरौली, जिला– सिंगरौली (म.प्र.)
2. मध्यप्रदेश शासन ------------------ अनावेदकगण

अधिवक्ता श्री अनिल सिंह द्वारा
द्वारा प्रस्तुत
रीवा, दिनांक 20/4/2012

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर महोदय सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक–149/अ–74/2010–2011 आदेश दिनांक– 11.04.2011

निगरानी अन्तर्गत धारा– 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

प्रकरण के सूक्ष्म तथ्य इस प्रकार है:–

1. यह कि नायब तहसीलदार महोदय प्रभारी माड़ा द्वारा ग्राम पंचायत डोंगरी स्थित ग्राम– सहरत ताल की आराजी पुराना खसरा क्रमांक– 202 रकवा 1.115 है0, 212 रकवा 0.94 है0 योग रकवा– 1.309 है0 नवीन बन्दोबस्ती सर्वे नंबर– 868/1ग रकवा 1.30 है0 का व्यवस्थापन पट्टा प्रकरण क्रमांक– 32/अ–19(4)/1982–83

(145)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक R 1410 -I /12 जिला– निगरानी

परसोतम सिंह यादव विरूद्ध रामकिशन सोनी यादव

(1)	(2)	(3)
18.12.18	1. आवेदक की ओर से श्री अनिल सिंह गहलोत अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर/ ~~अपर कलेक्टर~~, जिला निगरानी के प्रकरण क्रमांक 149/अ-74/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 11-4-11 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 21-1-19 को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	